प्रेषक,

संख्या–2348/77–4–20–142एन/08टीसी

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा,
ए–1/4 लखनपुर, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2020

विषयः– कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत यूपीसीडा में विकासकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में बिना शुल्क समय विस्तारण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1038/यूपीसीडा/औ0क्षे0/का0आ0, दिनांक 30.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश संख्या–1877/77–4–20–142एन/08टीसी, दिनांक 02.07.2020 के संदर्भ में यूपीसीडा द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में 06 माह का निःशुल्क समय विस्तारण दिये जाने की सुविधा इकाई के उत्पादनरत होने के लिए अनुमन्य अवधि में भी प्रदान की जाय।

2. इस संवंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त कोविड महामारी के दृष्टिगत इकाई के उत्पादनरत होने के लिए अनुमन्य समय सीमा में 06 माह का निःशुल्क समय विस्तारण इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि किसी भी आवंटी को पुनः इसी आधार पर अन्य किसी माइल स्टोन के लिए निःशुल्क समय विस्तारण अनुमन्य नहीं होगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner